## उदीयमान एनबीएफसी हेतु सहायता योजना Scheme for Assistance to Emerging NBFCs

क्र.सं. S.No.	योजना के मानक / मानदण्ड Scheme Norm / Parameters	विवरण / Particulars			
	भाग – क: मंजूरी के लिए न्यूनतम मानदण्ड :				
Part – A:	Part – A: Benchmark norms for sanction:				
1	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	सी आर ए आर> 18% CRAR> 18%			
	Capital to risk	सीआरएआर (स्तर 1): >12%			
	weighted assets ratio (CRAR)	CRAR (Tier 1): >12%			
2	अनर्जक आस्तियाँ	निवल अनर्जक आस्तियाँ <४%			
	(एनपीए)	Net NPA <4%			
	Non-Performing				
	Assets (NPA)				
3	रेटिंग / Rating	बीबीबी- की न्यूनतम बाह्य रेटिंग तथा सिडबी के आंतरिक स्कोरिंग मॉडल में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली इकाई /संस्था सहायता हेतु पात्र होगी, बशर्ते वह अन्य मानदण्डों को पूरा करती हो। Minimum external rating of BBB- and Internal score of 50% in the scoring model of SIDBI would be eligible for assistance, subject to meeting all other parameters.			
	पात्रता मानदण्ड :				
Part – B:	Eligibility Parameters:				
4	एनबीएफसी संस्थाओं के स्वरूप Type of NBFCs	भारतीय रिजर्ब बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी- आईसीसी, जो छोटे व्यवसायों के आहर्ता प्राप्त आस्थियों के वित्तपोषण में रत हैं। NBFC-ICC registered with RBI engaged in financing Qualifying Assets, as under.			

क्र.सं. S.No.	योजना के मानक / मानदण्ड Scheme Norm / Parameters	विवरण / Particulars
	आहर्ता प्राप्त आस्थियों की परिभाषा Qualifying Assets against which financing shall be considered	सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार /भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 में विहित परिभाषा के अनुसार, समय-समय पर संशोधित), जो छोटे व्यवसायों /आय उपार्जक गतिविधियों में संलग्न हैं।
		इसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों सहित वाणिज्यिक वाहन, खुदरा व्यापार, शैक्षिक संस्थान और सिडबी अधिनियम, 1989 की धारा 2(एच) में वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए परिभाषित अन्य सभी गतिविधियां शामिल होंगी।
		कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को दिया गया अप्रत्याभूत ऋण पात्र नहीं होगा।
		NBFCs loans to Micro and Small enterprises (as per MSMED Act 2006/ as per definition contained in Gol Gazette Notification S.O.2119(E) dated June 26, 2020, as amended from time to time), which in turn are engaged in small businesses/income generating activities.  This shall also include, commercial vehicles including tractors registered for commercial use, retail trade, educational institution and all other activities as defined in section 2(h) of SIDBI Act, 1989 for bonafide business purposes.  Unsecured loan to corporate borrowers shall not be eligible.

क्र.सं. S.No.	योजना के मानक / मानदण्ड	विवरण / Particulars
5.140.	Scheme Norm /	
	Parameters	
		भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट बैंक ऋण के लिए पात्र नहीं पाई जाने वाली गतिविधियां योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी।
		Financing activities not eligible for bank credit as per RBI guidelines will not be considered eligible under the scheme.
5	कार्य-निष्पादन Track record	एनबीएफसी को 5 साल से परिचालनरत होना चाहिए। NBFCs should be in business for 5 years.
		<ul> <li>सकारात्मक निवल मालियत         <ul> <li>Positive Net-worth</li> </ul> </li> <li>पिछले 3 वर्षों के लिए निवल लाभ         <ul> <li>Net Profit for last 3 years.</li> <li>लीवरेज अनुपात 5:1 के भीतर होना चाहिए।</li> <li>Leverage ratio to be within 5:1</li> </ul> </li> </ul>
6	निवल स्वाधिकृत निधियां और आस्ति-आकार	न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि रु. 50 करोड़ और न्यूनतम आस्ति-आकार रु. 200 करोड़ होना चाहिए।
	Net owned funds and Asset size	Minimum Net Owned funds ₹ 50 crore and minimum asset size of ₹ 200 crore
भाग – ग:	 अन्य मानदण्ड	
	Other Parameters	
7	प्रतिभूति / Security	उधारकर्ता के बही-ऋणों पर बैंक का दृष्टिबंधन। Hypothecation of book debts of the Borrower. एनबीएफ़सी संस्थाएँ, संबन्धित ऋणों से जुड़ी प्रतिभूतियों /प्राप्य-राशियों को सिडबी के पक्ष में एक न्यासी के तौर पर अवधारित करेंगी। The NBFCs shall hold in trust the receivables and underlying securities / receivables on behalf of SIDBI.
8	ब्याज दर Rate of interest	ब्याजदर आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी ।

क्र.सं. S.No.	योजना के मानक / मानदण्ड Scheme Norm / Parameters	विवरण / Particulars
		Interest rate would be decided based on mutually agreed terms.
9	चुकौती अवधि Repayment period	मूलधन की किश्तों की चुकौती मासिक /तिमाही आधार पर देय होगी। Principal instalment shall be payable on monthly / quarterly basis,
		ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर देय होगा। Interest shall be payable on monthly only.
		मूलधन और ब्याज की चुकौती की देय तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख होगी, जिसमें यह देय होगा, बशर्ते इसका अन्यथा अनुमोदन न हुआ हो।
		Due dates for payment of principal and interest shall be 10 <sup>th</sup> of every month in which it falls due, unless approved otherwise.

\*\*\*\*